सरकार बनाम अजीत सिंह
आपराधिक प्रकरण संख्या–81/18
निर्णय दिनांक–10.06.2026

न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा जिला करौली (राज0)
पीठासीन अधिकारी : सुमन मुण्डोतिया (आर.जे.एस.)
सी.एन.आर. नंबर : RJKR110000222018
मूल फौजदारी प्र. सं. : 81/18
सी.आई.एस. नंबर : 81/18
एफआईआर नंबर : 301/17

राजस्थान राज्य

.....अभियोजनकर्ता

बनाम

1. **अजीत सिंह** पुत्र तेजसिंह उम्र 36 साल निवासी कोकलियापुरा थाना गढी बाजना जिला भरतपुर राज.

.....अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता एवं 4/21 एमएमडीआर एक्ट

उपस्थितः–
01. राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी।
02. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री नदीम खान उप0।

Date of Offence	20.12.2017
Date of FIR	20.12.2017
Date of Charge sheet	19.06.2018
Date of Framing of Charges	24.08.2018
Date of commencement of evidence	08.04.2026
Statement u/s 313 Cr.P.C. Recorded on	10.06.2026
Arguments heard on	10.06.2026
Date of the Judgment	10.06.2026

।। निर्णय ।। **दिनांकः 10.06.2026**

01. संक्षेप में अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि एक तहरीरी रिपोर्ट महेन्द्र सिंह पुत्र फतेह सिंह हाल एसआई थाना सपोटरा ने दिनांक 20.12.2017 को इस आशय की पेश की कि दिनांक 20.12.17 को समय 11.45 AM पर मन एसआई महेन्द्र सिह को जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की एक ट्रक बनास बजरी से चोरी से बजरी भरकर कच्चे पक्के रास्ते से खिरखिडी होकर कुडगाँव की तरफ जा रहा है। इस सूचना पर मन एसआई महेन्द्र सिह मय कानि. संजय

सिह 389, सुन्दर सिह 1053 मय जीप सरकारी व चालक श्रीफल 461 के थाने से रवाना होकर वास्ते करने रोकथाम व कार्यवाही अबैध बजरी खनन एव निर्गमन हेतु खिरखिडी, डाबरा, डिकोली कुडगाव रोड रवाना हुआ तथा तलाश बजरी से भरे ट्रक की खिरखिडी, डाबरा करता हुआ डिकोली कला से थोडा आगे समय 12.15 PM पर पहुचा तो मुखबिर खास की सूचना के अनुसार एक ट्रक न. RJ 05 GB 2351 कुडगाव की तरफ जाते हुये मिला जिसे हाथ का इशारा देकर रोका और चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजीत पुत्र तेजसिह उम्र 26 साल निवासी कोकलियापुरा थाना गढी बाजना जिला भरतपुर का होना बताया उक्त ट्रक को चैक किया तो ट्रक न. RJ 05 GB 2351 मे बनास नदी की ओवरलोड बजरी भरी हुई थी ट्रक चालक अजीत से बजरी की रायल्टी रवन्ना मांगा तो अपने पास कोई रायल्टी व रवन्ना होना नही बताया ...आदि रिपोर्ट पर पुलिस थाना सपोटरा में मुकदमा 301/17 अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 4/21 एमएमडीआर एक्ट में दर्ज कर तफतीश की गई व बाद तफतीश यह आरोप पत्र अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 4/21 एमएमडीआर एक्ट में न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्व अन्तर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 4/21 एमएमडीआर एक्ट में प्रसंज्ञान लिया गया।

02. अभियुक्त को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता व 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने उक्त आरोपों को सुन व समझकर अस्वीकार किया।

03. अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में गवाहान **अनुलग्नक ए "Annexure-A"** के अनुसार, दस्तावेजी साक्ष्य **अनुलग्नक बी "Annexure-B"** तथा भौतिक वस्तुए **अनुलग्नक सी "Annexure- C"** के अनुसार प्रस्तुत किए। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त अनुलग्नक **"Annexure"** निर्णय के साथ पृथक से संलग्न हैं।

04. अभियुक्त को **धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973** के प्रावधानानुसार परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने साक्ष्य को झूंठा बताते हुए कहा कि वह निर्दोष है।

05. बहस अंतिम उभय पक्षों की सुनी गयी। दौराने बहस सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने पत्रावली पर आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध किया जाकर विधिनुसार दण्ड से दण्डित किये जाने का

निवेदन किया। जबकि विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त के तर्को पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया, संबंधित विधि का अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष **विचारणीय बिन्दू** निम्न है–

(1) **क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.12.2017 को समय 12.15 पीएम बजे या इसके लगभग बनास नदी क्षेत्र से, बजरी जो कि राज्य के कब्जे की थी, को बिना सक्षम प्राधिकारी की सहमति के बेईमानीपूर्वक हटा कर, चोरी करके ले गये। आपने बजरी की चोरी का अपराध कारित किया तथा सपोटरा–कुडगांव मार्ग आपके चैतन्य कब्जे एवं संज्ञान से वाहन ट्रक नंबर आरजे 05 जीबी 2351 में बिना अनुज्ञप्ति या बिना खनिज पटटे के परिवहन या अभिवहन करते हुए अवैध बजरी स्टॉक बरामद हुयी। इस प्रकार आपने माईन्स एडं मिनरल्स एक्ट, 1957 एवं उसके अंतर्गत बने नियमों से अन्यथा, खनिज पदार्थ का परिवहन या संग्रहण किया ?**

(2) **यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागी होगा ?**

07. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उपरोक्त विचारणीय बिन्दुओं को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 05 गवाह पेश कर परीक्षित करवाए गए।

08. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये गवाह साक्षी पी.डब्ल्यू 1 सहदेव ने मुख्य परीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि दिनांक 11.04.2018 को वह एमई के पद पर खनिज विभाग करौली में पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 301/2017 धारा 379 आईपीसी व 4/21 एमएमडीआर एक्ट में जप्तशुदा ट्रेक्टर नंबर आरजे 05 जीबी 2351 बजरी से प्राप्त करने पर कार्यालय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जप्तशुदा बजरी अवैध खनन कार्य था जिसमें दिनांक 27.05.2016 न्यायालय में एनजीटी के आदेश से पूर्णतः रोक थी। बजरी परिवहन के लिए कोई वैध लाईसेन्स व स्वीकृति नहीं थी। जिससे संबंधित कार्यालय के पत्र प्रदर्श पी 01 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सी से डी भाग रिपोर्ट है। प्रदर्श पी 02 वाहन की टोल पर्ची है जो शामिल पत्रावली है। न्यायालय के आदेश की फोटोकॉपी शामिल पत्रावली है।

जिरह गवाह ने कथन किया है कि उसने जिस जगह से बजरी निकाली गयी थी उस जगह पर वह नहीं गया था। बजरी का उन्होंने वजन तोला था या नहीं उसे ध्यान नहीं है।

09. इसी क्रम में गवाह साक्षी पी.डब्ल्यू 2 महेन्द्र सिंह ने मुख्य परीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि दिनांक 20.12.2017 को थाना सपोटरा पर एसआई के पद पर पदस्थापित था। उस दिन रवानगी डालकर थाने से रवाना हुआ रवानगी प्रदर्श पी 03 है। मुखबीर की सूचना के मुताबिक कुडगांव की तरफ से वह संजयसिंह, सुंदर सिंह मय सरकारी जीप, चालक श्रीफल अवैध बजरी खनन रोकथाम हेतु रवाना हुये। मुखबीर की सूचना के अनुसार 12.15 पीएम पर डिकोली से थोडा आगे एक टेक नंबर आरजे 05 जीबी 2351 बजरी से भरा हुआ आया। हाथ का ईशारे देकर टेक को रूकवाया। चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अजीत पुत्र तेजसिंह निवासी कोकलियापुरा थाना गढी बाजना जिला भरतपुर होना बताया। ट्रेक को चैक किया तो उसमें अवैध बनास बजरी भरी हुई थी। बनास नदी में से बजरी चोरी करना बताया और कोई लाईसेन्स व अनुज्ञप्ती प्रमाण पत्र नहीं होना बताया। मौके पर ही बजरी से भरे ट्रेक को जप्त किया। जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सी से डी भाग पर मुलजिम के हस्ताक्षर है। मुलजिम की फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 05 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है और सी से डी भाग पर मुलजिम के हस्ताक्षर है। बजरी के भरे टेक को और मुलजिम लेकर थाने पर आये। थाने पर आकर उसके द्वारा बिजेन्द्र यादव को एक तहरीर रिपोर्ट पेश की जो प्रदर्श पी 06 है जिस पर ए से बी भाग पर दो जगह उसके हस्ताक्षर है। सी से डी भाग पर मुलजिम बिजेन्द्र यादव के हस्ताक्षर है उनको हस्ताक्षरो को साथ रहने की वजह से पहचानता है। जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 07 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सी से डी भाग पर बिजेन्द्र के हस्ताक्षर है उनके हस्ताक्षरो को साथ रहने की वजह से पहचानता है।

जिरह गवाह ने कथन किया कि घटनास्थल आम सडक है। यह बात सही है कि घटनास्थल पर लोगों की आवाजाही होती है। उसके द्वारा जप्तशुदा माल का वजन नहीं कराते है। खनिज विभाग द्वारा करवाया जाता है वे तो केवल सूचना देते है। जप्तशुदा माल का वजन खनिज विभाग उसके सामने किया गया या नहीं उसे पता नहीं है।

10. इसी क्रम में गवाह साक्षी पी.डब्ल्यू 3 श्रीफल ने मुख्य परीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि दिनांक 20.12.2017 को थाना सपोटरा पर कॉस्टेबल चालक के पद पर

पदस्थापित था। उस दिन महेन्द्र एसआई, सुंदर कानि. मय जीप सरकारी थाने से वास्ते अवैध बजरी खनन एवं निर्वहन की रोकथाम हेतु रवाने होते हुये खिरखिडी, डाबरा गश्त करते हुये, डिकोली कलां पहुँचे। वहां पर मुखवीर सूचना पर एक टेक मिला आरजे 05 जीबी 2351 कुडगांव की तरफ जा रहा था। हाथ का ईशारा देकर रूकवाया उससे नाम पता पूछा तो अजीत पुत्र तेजसिंह जाति गुर्जर निवासी कोकलियापुरा थाना गढी बाजना जिला भरतपुर होना बताया। टेक को चैक किया तो अवैध बनास की बजरी ओवरलोड भरी हुई थी। महेन्द्र सिंह के द्वारा दस्तावेज मांगे तो नहीं होना बताया। मौके पर ही टेक आरजे 05 जीबी 2351 की फर्द जप्ती महेन्द्र सिंह के द्वारा उसकी उपस्थिति में संजयसिंह और सुंदरसिंह को गवाह बनाकर तैयार की जो प्रदर्श पी 04 है। टेक को नजदीकी थाने कुडगांव पर खड़ा किया। कुडगांव मालखाना इंचार्ज को सुरक्षा दृष्टि से संभवालाया गया। गिरफतारशुदा मुलजिम को थाने पर लाया गया। प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी द्वारा उसके बयान लेखबद्ध किये गये।

जिरह गवाह ने कथन किया है कि उन्होंने मुल्जिम को थूमा की पुलिया व कहां पकडा यह उसे पता नहीं है। उसे यह भी पता नहीं था। थूमा की पुलिया सपोटरा थाने क्षेत्र में लगती है या कुडगांव थाने क्षेत्र में लगती है। जप्तीस्थल के आसपास लोगों के कोई मकानियत नहीं है, केवल खेत है। उसके सामने फर्द जप्ती बनायी थी। जप्ती में वजन लिखा था, उसे पता नहीं है। मुल्जिम पुलिस की गाडी को देखकर भागा नहीं था, बल्कि थानेदार का इशारा करने से रूक गया थ। वे मौके पर पूरी कार्यवाही करने में बीस–पच्चीस मिनट समय लगा था। उस समय सडक पर लोगों का आवागमन हो रहा था।

11. इसी क्रम में गवाह साक्षी पी.डब्ल्यू 4 निहाल सिंह ने मुख्य परीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि दिनांक 20.12.2017 को एक तहरीर रिपोर्ट महेन्द्रसिंह ने पेश की जिसमें मुकदमा दर्ज कर तफतीश उसे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान दिनांक 21.12. 2017 को उसने संजयसिंह और सुंदरसिंह की उपस्थिति में घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया जो प्रदर्श पी 08 है जिस पर ए से बी भाग पर दो जगह उसके हस्ताक्षर है। सी से डी और ई से एफ भाग पर गवाहान के हस्ताक्षर है। बयान धारा 161 सीआरपीसी में श्रीफल, सहदेव साहरण, सुंदरसिंह, महेन्द्र सिंह, जयसिंह के उनके कथनानुसार बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। फर्द जप्ती और फर्द गिरफतारी प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। नोटिस धारा 133 एमवी प्रदर्श पी 09 है जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। सी से डी भाग बबलू के हस्ताक्षर है। नोटिस

धारा 133 एमवी एक्ट का जबाब प्रदर्श पी 10 में ई से एफ भाग पर बबलू के हस्ताक्षर है। जी से एच भाग बबलू द्वारा दिया गया जबाव है। वाहन की बजरी बाबत वजन का पर्ची काटा प्रदर्श पी 02 है। एमई को दिया गया नोटिस प्रदर्श पी 01 है। पत्रावली में राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 11 है जो शामिल पत्रावली है। प्रकरण में उसके समस्त अनुसंधान से अभियुक्त अजीतसिंह पुत्र तेजसिंह निवासी कोकलियापुरा के विरूद्ध अंतर्गत धारा 379 आईपीसी व 4/21 एमएमडीआर एक्ट में जूर्म प्रमाणित मानकर चार्जशीट संख्या 231/2017 बिजेन्द्र यादव के उपर्युक्त मुलजिम और उपर्युक्त धाराओं किताकर चालान पेश न्यायालय किया। समस्त चार्जशीट पर ए से बी भाग पर बिजेन्द्र यादव के हस्ताक्षर है उनके हस्ताक्षरो को साथ रहने की वजह से पहचानता है।

जिरह गवाह ने कथन किया है कि पुलिस ने वाहन को डिकोली में मैंन सडक पर जप्त किया। डिकोली से थूमा की दूरी करीब आधा किलोमीटर है। कांटे की तौल उसके द्वारा नहीं करवायी थी कांटे की तौल एसएचओ ने करवायी थी। तौल के समय खनिज विभाग के कर्मचारी मौजूद थे, यह वह नहीं बता सकता। प्रदर्श पी 10 की जी से एच भाग मोटरसाईकिल मालिक ने खुद लिखी होगी या किसी और से लिखवायी होगी। प्रदर्श पी 09 धारा 133 एमवी एक्ट का उसके द्वारा वाहन मालिक को थाने पर दिया था।

12. इसी क्रम में गवाह साक्षी पी.डब्ल्यू 5 बबलू ने मुख्य परीक्षण में सशपथ यह कथन किया है कि दिनांक 20.12.2017 को उसे जरिये नोटिस सूचित किया उसका टेक आरजे 05 जीबी 2351 का वह वाहन स्वामी था। दिनांक 20.12.2017 को उसके वाहन को अजीत पुत्र तेजसिंह निवासी कोकलियापुरा चलाता था। वह घर पर रहता था टेक को अजीत सिंह चलाता था। प्रदर्श पी 09 पर सी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 10 पर ई से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर है और जी से एच भाग पर उसका जबाव है।

जिरह –गवाह ने कथन किया कि ट्रक का मालिक वह है। प्रदर्श पी 10 उसके द्वारा नहीं लिखा गया है। उसकी गाडी पर दो ड्राईवर रहते है। दिनांक 22.12.2017 को कौनसा ड्राईवर उसकी गाडी चला रहा था, उसे ध्यान नहीं है।

13. सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि से मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण का उद्भव **परिवादी महेन्द्र सिंह**

एसआई द्वारा दर्ज **तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 06** द्वारा हुआ। परिवादी ने स्वयं को **पी डब्ल्यू 02** के रूप में परीक्षित करवाया तथा **मुख्य परीक्षण** में कथन किया कि दिनांक 20.12.2017 को रवानगी डालकर गश्त हेतु निकले थे। कुडगांव की तरफ से जहां मुखबीर खास से सूचना मिली थी। एक ट्रक जिसमें अवैध बजरी भरी हुयी है, वह जा रहा है। मुखबीर खास के बताये स्थान पर पहुंचे जहां पर डिकेली से थोडा आगे एक ट्रक नंबर आरजे 05 जीबी 2351 बजरी से भरा हुआ जा रहा था, जिसे हाथ का इशारा देकर रूकवाया। चालक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम अजीत पुत्र तेजसिंह निवासी कोकलियापुरा बताया। ट्रक चैक किया तो उसमें अवैध बजरी भरी मिली। जिसके संबंध में लाईसेंस व अनुज्ञप्ती प्रमाण पत्र मांगा तो नहीं होना बताया। उक्त गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया कि घटनास्थल आम सडक है, जहां लोगों की आवाजाही रहती है। जप्त माल का वजन उनके द्वारा नहीं करवाया, जबकि खनिज विभाग द्वारा करवाया जाता है। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में जप्त माल खनिज विभाग द्वारा जप्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य गवाह **श्रीफल पी डब्ल्यू 03,** जो घटना के दिवस हमराही जाप्ता में उपस्थित था। जिसने **मुख्य परीक्षण** में कथन किया कि दिनांक 20.12.2017 को एक ट्रक जिसके नंबर आरजे 05 जीबी 2351 कुडगांव की तरफ से जा रहा था। जिसको रूकवाने पर मुल्जिम ने अपना नाम अजीत सिंह बताया। जिसमें अवैध बजरी भरी हुई थी। जिसके संबंध में अनुज्ञापत्र नहीं होने का कथन किया। उक्त गवाह ने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया कि उसके समक्ष ही फर्द जप्ती बनायी गयी थी। मुल्जिम को वहीं गिरफतार किया गया था। मुल्जिम पुलिस की गाडी को देखकर नहीं भागा था और उसके सामने अवैध बजरी का वजन करवाया या नहीं करवाया, उसे पता नहीं होने का कथन किया। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य का खण्डन अभियुक्त पक्ष द्वारा नहीं किया गया कि वरबक्त घटना अभियुक्त द्वारा अवैध बजरी का परिवहन नहीं किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त अन्य गवाह **बबलू पी डब्ल्यू 05,** जो ट्रक का मालिक है। जिसने **प्रतिपरीक्षण** में स्वीकार किया कि पुलिस द्वारा खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। उसकी गाडी पर दो ड्राईवर रहते है। घटना के समय कौन ड्राईवर गाडी चला रहा था। वह नहीं बता सकता। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य से मुल्जिम की पहचान स्पष्ट नहीं होती है कि बरवक्त घटना कौन मुल्जिम वाहन चला रहा था। इसके अतिरिक्त गवाह **सहदेव साहरण पी डब्ल्यू 01,** जो घटना के दिवस खनिज विभाग करौली में पदस्थापित था। जिसने **प्रतिपरीक्षण** में कथन किया कि जिस स्थान से बजरी निकाली थी, वह

नहीं बता सकता वह कौनसा स्थान था। इस प्रकार उक्त गवाह की साक्ष्य अभियोजन कहानी को ताईद नहीं करती है। इसके अतिरिक्त अन्य गवाह **निहाल सिंह पी डब्ल्यू 04,** जो हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है। जिसकी साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की रही।

अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया है कि धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट सन 1957 के अंतर्गत परिवाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त के योग्य है। उक्त धारा के संबंध में एमएमडीआर एक्ट 1957 की धारा 22 में प्रावधान दिया गया है कि ''इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रसंज्ञान केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किये गए लिखित परिवाद पर ही न्यायालय द्वारा किया जाएगा।'' उक्त प्रावधान की रोशनी में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो इस संबंध में अभियुक्त के विरूद्ध किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित परिवाद न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। अतः अपराध धारा अंतर्गत 4/21 एमएमडीआर एक्ट सन 1957 के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध के संबंध में कार्यवाही करने का आधार उपलब्ध नहीं है अतः धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट सन 1957 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

धारा 379 भारतीय दंड संहिता, 1860 के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाये तो पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित समस्त गवाहान ने मुल्जिम के कब्जे से अवैध बजरी का स्टॉक जप्त किये जाने का कथन किया। जिसके संबंध में अभियुक्त द्वारा ना ही कोई साक्ष्य सफाई पेश की है, ना ही कोई मौखिक एवं प्रलेखिय साक्ष्य पेश किया गया है। जिसके संबंध में धारा 114 भारतीय साक्ष्य अधिनियम अभिनिर्धारित करती है कि चोरी के पश्चात चोरी की वस्तु जिसके कब्जे में होती है या तो वह उसके कब्जे का कारण बता दे नहीं तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि या तो वस्तु चोरी की है या चोरी की जानते हुए प्राप्त की है। इसके संबंध में अभियुक्त के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं गई है। जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त से प्राप्त जप्तशुदा अवैध बजरी अभियुक्त के कब्जे से चोरी जप्त की थी।

14. अतः अभियुक्त **अजीत सिंह** पुत्र तेजसिंह उम्र 36 साल निवासी कोकलियापुरा थाना गढी बाजना जिला भरतपुर राज. को अपराध अंतर्गत धारा **379 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

तथा अभियुक्त **अजीत सिंह** पुत्र तेजसिंह उम्र 36 साल निवासी कोकलियापुरा थाना गढी बाजना जिला भरतपुर राज. को अपराध अंतर्गत धारा **4/21 एमएमडीआर एक्ट** में **दोषमुक्त** घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

15. परिणामतः अभियुक्त **अजीत सिंह** पुत्र तेजसिंह उम्र 36 साल निवासी कोकलियापुरा थाना गढी बाजना जिला भरतपुर राज. को अपराध अंतर्गत धारा **379 भारतीय दण्ड संहिता** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों **में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।**

तथा अभियुक्त अजीत सिंह पुत्र तेजसिंह उम्र 36 साल निवासी कोकलियापुरा थाना गढी बाजना जिला भरतपुर राज.को अपराध अंतर्गत धारा **4/21 एमएमडीआर एक्ट** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

(सुमन मुण्डोतिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा
जिला करौली

सजा के प्रश्न

16. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा वह लम्बी अवधि से अन्वीक्षा भुगत रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धी भी नहीं रही है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख अपनाते हुए उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाकर परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निवेदन किया।

17. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त तर्कों का विरोध करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध अपराध में अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की।

18. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। अभियुक्त के विरुद्व आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया है, लेकिन अभियुक्त वर्ष 2017 से अन्वीक्षा भुगत रहे है। उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी बाबत कोई प्रमाण पत्रावली पर पेश नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

19. अभियुक्त **अजीत सिंह** पुत्र तेजसिंह उम्र 36 साल निवासी कोकलियापुरा थाना गढी बाजना जिला भरतपुर राज. को धारा 379 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्वि पर आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4(1) का लाभ दिया जाकर अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **एक वर्ष** की अवधि के लिए 10,000–10,000/– रूपये का बंध पत्र इस आशय का प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि, उसके द्वारा इस दौरान अपराध कि पुनरावृत्ति नहीं की जावेगी तथा व सदाचार बनाये रखेगा, न्यायालय द्वारा या माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा सजा भुगतने के लिए तलब किया जावेगा तो वह स्वयं को अविलंब प्रस्तुत करेगा, परीविक्षा अवधि के दौराने अपने स्थाई पते में परिवर्तन नहीं किया जावेगा और यदि परिवर्तन किया जाता है तो इस बावत न्यायालय को अविलंब सूचित करेंगे तथा इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध की गयी अपील में माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर स्वयं को अविलंब माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगा तो अभियुक्त को परीविक्षा पर छोडा जावे।

– इसके अतिरिक्त अभियुक्त परिवीक्षा की धारा 5 के तहत 1500/– रूपये (अक्षरे पन्द्रह सौ रुपये) अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा कराये।

– अभियुक्त की हाजिरी बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

– साथ ही आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अभियुक्त इस निर्णय के अधीन की गयी दोषिसिद्वी से संलग्न, यदि कोई हो, निरर्हता से ग्रस्त नहीं होगा।

– अभियुक्त द्वारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बावत 06 माह की अवधि का स्वयं का 10,000/–रूपये का मुचलका व इसी राशि की जमानत पेश करे।

(सुमन मुण्डोतिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा
जिला करौली

20. निर्णय आज दिनांक 10.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन मुण्डोतिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा
जिला करौली

संलग्न–

अनुलग्नक ए "Annexure-A"

अभियोजन एवं बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची

Rank	Name	Nature of evidence
PW. 1	सहदेव	बयान 161 जा. फौ.
PW. 2	महेन्द्र सिंह	तार्दइ एफआईआर, बयान 161 जा.फौ., फर्द जप्ती, फर्द गिरफतारी
PW. 3	श्रीफल	बयान 161 जा. फौ.
PW. 4	निहाल सिंह	अनुसंधान अधिकारी
PW. 5	बबलू	बयान 161 जा. फौ., नोटिस 133 एमवीएक्ट

अनुलग्नक बी "Annexure-B" दस्तावेजात

अभियोजन एवं बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

Sr. No.	Exhibit Number	Description of the Exhibit	Proved by/Attested by
1	**प्रदर्श पी–1**	कार्यालय खनि. अभियंता करौली संबंधित कार्यालय पत्र	PW. 1
2	**प्रदर्श पी–2**	वाहन की टोल पर्ची	PW. 1, PW. 4
3	**प्रदर्श पी–3**	रोजनामचा रवानगी	PW. 2
4	**प्रदर्श पी–4**	फर्द जब्ती	PW. 2, PW. 3
5	**प्रदर्श पी–5**	फर्द गिरफतारी	PW. 2
6	**प्रदर्श पी–6**	तहरीरी रिपोर्ट	PW. 2
7	**प्रदर्श पी–7**	चाक एफआईआर	PW. 2
8	**प्रदर्श पी–8**	नक्शा मौका	PW. 4
9	**प्रदर्श पी–9**	नोटिस 133 एमवीएक्ट	PW. 4, PW. 5
10	**प्रदर्श पी–10**	नोटिस 133 एमवीएक्ट जवाब	PW. 4, PW. 5
11	**प्रदर्श पी–11**	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति	PW. 4

अनुलग्नक बी "Annexure-C" भौतिक वस्तुए

अभियोजन एवं बचाव पक्ष की भौतिक वस्तुओं की सूची

Sr. No.	Exhibit Number	Description of the Exhibit	Proved by/Attested by
निल	निल	निल	निल

(सुमन मुण्डोतिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा
जिला करौली